भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1870

19.12.2022 को उत्तर के लिए

उत्सर्जन संबंधी मानकों में समानता

1870. श्री चंद्र शेखर साहू :
श्री राहुल रमेश शेवाले :
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे :
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि बड़े केलसिनेटिड पेट्रोलियम कोक (सीपीसी) उद्योगों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा किए जा रहे उत्सर्जन के लिए इकाइयों के आकार और उत्सर्जन की मात्रा में अंतर होने के बावजूद उक्त उद्योगों और इकाईयों के लिए तय मानक एक समान हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बड़े औद्योगिक क्षेत्र जैस एल्यूमीनियम, इंटीग्रेटिड आयरन और स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत संयंत्र आदि को उनके अधिक प्रदूषण फैलाने की संभावना के बावजूद पार्टीक्यूलेट मैटर (पीएम) और एसओ$_2$ उत्सर्जन के मानकों के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से छूट दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का उक्त छूट की समीक्षा करने और इस संबंध में समानता लाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस संबंध में किए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार का एमएसएमई और सीपीसी इकाइयों को आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बनाए रखने और रोजगार के क्षेत्र में प्रमुख सेक्टर के तौर पर भी बनाए रखने के लिए पीएम और एसओ$_2$ उत्सर्जन संबंधी मानकों में छूट देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की पीर और कोर समिति की सिफारिशों के आधार पर केलसिनेटिड पेट्रोलियम कोक (सीपीसी) उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानकों संबंधी प्रारूप को मंत्रालय द्वारा हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव मांगने के लिए दिनांक 31.05.2022 को भारत सरकार के राजपत्र में सा.का.नि. 405(अ) द्वारा अधिसूचित किया गया था। केलसिनेटिड पेट्रोलियम कोक (सीपीसी) उद्योगों के लिए प्रारूप अधिसूचना में औद्योगिक इकाई के आकार पर ध्यान दिए बिना विविक्त कण (पीएम) और सल्फर डाइआक्साइड (एसओ$_2$) के लिए समरूप उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन मानकों का विकास इकाई प्रक्रिया/इकाई संचालन, सर्वाधिक उपलब्ध/व्यवहार्य तकनीकों के आधार पर और साथ ही तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पीएम और एसओ$_2$ उत्सर्जन मानकों के संबंध में एल्यूमीनियम, इंटीग्रेटिड लोहा और इस्पात, सीमेंट, ताप विद्युत संयंत्र आदि को कोई छूट नहीं दी गई है। पूर्वोक्त क्षेत्रों के लिए अधिसूचित उत्सर्जन मानकों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है।

*****

अनुबंध-I

पीएम और एसओ$_2$ संबंधी अधिसूचित स्रोत उत्सर्जन मानक

क्र.सं.	क्षेत्र	पीएम (मिलीग्राम/एनएम^3)			एसओ$_2$ (मिलीग्राम/एनएम^3)		
1.	एल्यूमीनियम	i. कैल्सीनेशन - 250 ii. ग्रीन एनोड शॉप - 150 iii. पॉट रूम - 150			-		
2.	लोहा और इस्पात (धमन भट्टी)	1. मौजूदा इकाई - 50 2. नई इकाई - 30			1. मौजूदा इकाई - 250 2. नई इकाई- 200		
3.	सीमेंट (सह-प्रसंस्करण के बिना)	1. रोटरी भट्टी - 30 2. वर्टिकल शॉफ्ट भट्टी - 50			1. रोटरी भट्टी - 100 2. वर्टिकल शॉफ्ट भट्टी - 50		
4.	ताप विद्युत संयंत्र	संस्थापित इकाई					
		31.12.2003 से पहले	01.01.2003 से 31.12.2016 तक	01.01.2017 से	31.12.2003 से पहले	01.01.2003 से 31.12.2016 तक	01.01.2017 से
		100	50	30	<500 मेगावाट क्षमता के लिए 600 >500 मेगावाट क्षमता के लिए 200		100

*****